

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय) JAIPUR, राजस्थान

क्रमांक: DEO(HG)/SCC/JPR/L-5/2021-22/163

दिनांक 04.03.2022

सचिव

प्रबंध समिति

ANURADHA CONVENT SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 40582 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पञ्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, ANURADHA CONVENT SCHOOL पता NAIWALA, BAD KE BALAJI, AJMER ROAD, JAIPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NARSINGH PURA ब्लॉक SANGANER को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8)
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्य पालन करना होगा तथा बांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएँगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

04/03/22
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर
04/03/2022

Generated from NIC-PSP(<http://rajpsp.nic.in>) Web-Portal Page 1 of 2

सचिव
अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति
ऑफिस एन्कलेव, कल्याणपुरा
संगानेर, जयपुर

PRINCIPAL
ANURADHA CONVENT SCHOOL
NAIWALA, BAD KE BALAJI
JAIPUR-302042

विद्यालय - ANURADHA CONVENT SCHOOL (P55520)

आवेदन क्रमांक : 40582

मान्यता कोड : RJJA131912

2-2-413

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 3 वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 रक्षित पत्रावली।



सचिव

अनुराधा पब्लिक स्कूल समिति
ऑफिसर्स एन्क्लेव, कल्याणपुरा
मानसरोवर, राँगावेर, जयपुर।

2-2-413/22

जिला शिक्षा अधिकारी
जिमाध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर


PRINCIPAL
ANURADHA CONVENT SCHOOL
NAIWALA, BAD KE BALAJI
JAIPUR-302042